

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

10⁸/₂₀

Jagdish

17⁸/₂₀₂₀

बहुलाय 347
तहसीलदार नेबरक से वास्तुविनिर्माण की
रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। आजाची केसी
पूर्व आवरणक रुक से अंगवारी लगे। पत्रावली
आजाची दिनांक 17/8/20 को देखें। 5000

पत्रावली आज पेश हुई, बहुलाय 347;
चुकि प्रकरण में नगरपालिका द्वारा पूर्व
में जावाब पेश किया जा चुका है एवं
प्राथी द्वारा प्राथना-पत्र में यह उल्लेख
किया गया है कि रास्ता शुरू में
मौजूद है परंतु अप्रार्थी द्वारा इसके
पर अतिक्रमण करके इसे संकरा
कर दिया गया है। किंतु इस प्रकरण में
तहसीलदार रिपोर्ट में गवाता आवरणक
नहीं साबित है, किंतु सीकेटी
बहाल की गई। प्रकरण के अवलोकन
से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी नवीन
रास्ता या पूर्व प्रचलित रास्ते को चौड़ा
नहीं करवाकर अतिक्रमण करवाया है।
है, जो कि धारा 251A के अंतर्गत
नहीं आता है। प्राथी-पक्ष से धारा
9A के अंतर्गत कार्यवाही करवा सकता है।
किंतु प्राथना-पत्र साबित होने से
अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली
संख्या से एक कम होकर 5000
5000 है।

